

# मध्यप्रदेश विधान सभा

## पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017 (चैत्र 3, 1939)

मध्यप्रदेश विधान सभा की (1) लोक लेखा (2) प्राक्कलन (3) सरकारी उपक्रमों संबंधी (4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी और (5) स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के क्रमशः नियम 221(3), 223 (1), 223-क(1), 234-क(1) तथा 234 (ढ) के अधीन माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा (1) लोक लेखा, (2) प्राक्कलन, (3) सरकारी उपक्रमों संबंधी, (4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी तथा (5) स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए वर्ष 2017-2018 की अवधि में सेवा करने के लिए हुए निर्वाचन में नाम वापसी के पश्चात्, विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को दिनांक 24 मार्च, 2017 को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है तथा नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उक्त समितियों के सभापतियों को नियुक्त किया गया है:-

### (1) लोक लेखा समिति

1. श्री ओमकार सिंह मरकाम
2. श्री कैलाश चावला
3. श्री जगदीश देवड़ा
4. श्री जसवंत सिंह हाड़ा
5. श्री बाला बच्चन
- \*6. श्री रामनिवास रावत
7. श्री मानवेन्द्र सिंह
8. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
9. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
10. श्री रमेश मैन्दोला
11. श्री सरताज सिंह

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया है.

### (2) प्राक्कलन समिति

1. श्री अरूण भीमावद
2. श्री इन्दर सिंह परमार
3. श्री गिरीश गौतम
4. श्री गोवर्धन उपाध्याय
5. श्री देवेन्द्र वर्मा
6. श्री प्रदीप अग्रवाल
7. डॉ. मोहन यादव
8. श्री योगेन्द्र सिंह
9. श्री रामपाल सिंह
10. श्री विजयपाल सिंह
11. श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)

श्री गिरीश गौतम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया है.

\* श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा का दिनांक 11 सितम्बर, 2017 को निधन हो जाने से रिक्त. उक्त स्थान पर श्री रामनिवास रावत मान.सदस्य दिनांक 21 मार्च, 2018 को निर्विरोध निर्वाचित एवं सभापति नियुक्त किये गये.(देखिए पत्रक भाग-दो क्र.38,दि. 22 मार्च, 2018)

**(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति**

1. श्री चेताराम मानेकर
- \*2. श्री गोविन्द सिंह पटेल
3. श्री दिलीप सिंह परिहार
4. श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
5. श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
6. श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
7. श्री सतीश मालवीय
8. श्री सुखेन्द्र सिंह
9. श्री हर्ष यादव
10. श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी
11. सुश्री हिना लिखीराम कांवरे

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया है.

**(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति**

1. श्रीमती इमरती देवी
2. श्री के.डी.देशमुख
3. श्री कुंवर सिंह टेकाम
4. श्री कुंवरजी कोठार
5. श्री घनश्याम पिरोनियां
6. श्री नानाभाऊ मोहोड
- \*7. श्रीमती उमादेवी लालचन्द खटीक
8. श्री प्रताप सिंह
9. श्री मुरलीधर पाटीदार
10. श्री रामप्यारे कुलस्ते
11. श्री आर.डी. प्रजापति
12. श्री वेलसिंह भूरिया
13. श्री वीर सिंह पंवार
14. श्रीमती सरस्वती सिंह
15. प्रो. संजीव छोटेलाल उइके

श्री के. डी. देशमुख, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया है.

**(5) स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति**

1. डॉ. कैलाश जाटव
2. श्री चंदर सिंह सिसौदिया
3. श्री चंपालाल देवड़ा
4. श्री दिव्यराज सिंह
5. श्री नीलेश अवस्थी
6. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
7. श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल
8. श्री राजेन्द्र मेश्राम
9. कुंवर विक्रम सिंह
10. श्री शैलेन्द्र जैन
11. श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल

श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया है.

अवधेश प्रताप सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

# मध्यप्रदेश विधान सभा

## पत्रक भाग-दो

गुरूवार, दिनांक 22 मार्च, 2018 (चैत्र 1, 1940)

लोक लेखा, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों में रिक्त एक-एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन.

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223-क के उपनियम (1) एवं नियम 234-क के उप नियम (1) के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नांकित समितियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उनके सम्मुख अंकित सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2017-2018 की शेष अवधि के लिए दिनांक 21 मार्च, 2018 को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :-

1.	लोक लेखा समिति	श्री रामनिवास रावत
2.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	श्री गोविन्द सिंह पटेल
3.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति	श्रीमती उमादेवी लालचन्द खटीक

उपर्युक्त के साथ ही मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन श्री रामनिवास रावत, मान. सदस्य को लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त किया गया है.

ए. पी. सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.